संख्या-1/1280/18-4-2014-13(बीडा)/04

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
(बीडा) संतरविदास नगर (भदोही)

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 11अगस्त,2014

विषय-भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण,(बीडा) के अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-बीडा/कार्मिक-एक(400)/09/3981, दिनांक 09-05-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण,(बीडा) के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने की निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- प्राधिकरण के नियमित एवं पूर्णकालिक कार्मिकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किये जाने पर जो भी वित्तीय व्यय भार आयेगा उसका वहन भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण,(बीडा) द्वारा अपने स्रोतों से किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता न तो वर्तमान में और न ही भविष्य में दी जायेगी।

http://srsanadesh.up.nic.in

(2) उक्त प्राविधान भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण,(बीडा) में तत्कालिक प्रभाव से लागू होंगे तथा इसका कोई पूर्वगामी प्रभाव नहीं होगा।

2. कृपया तदनुसार प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-1280(1)/18-4-2014-13(बीडा)/04, तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्क कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ़द्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
5. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0एम0 झा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in